आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 14/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

31/12/2020 दाता रामपति सिंह, पिता–बैजनाथ सिंह,ग्राम–अवगीला, थाना–रामपुर चौरम, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
66	965	03 डी0	उतर–नीज दक्षिण–लखन लाल पूरब–देवी सिंह पश्चिम–राजा मिस्त्री

मौजा– अवगीला, थाना नं०–83, थाना– रामपुर चौरम,अंचल–अरवल, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और नहीं किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी अरवल से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर अंकित है। रामचरित्र सिंह एवं राजनाथ सिंह का नाम गवाह में अंकित है। दिनांक 28.01.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान उपलब्ध नहीं है देवी सिंह, पिता–वैजनाथ सिंह के नाम पर जमावंदी चल रही है, जो कि दाता के भाई हैं। वर्णित भूमि पर वर्तमान में ग्रामीण के दखल कवजा है। भूमि वर्तमान में पशु का चिरारी है। भूमि रैयति खाता का है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालीक, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, आदि से मुक्त है।

अतःअंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में वर्णित भूमि की संपुष्टि की कार्रवाई करने हेतु अंकित है, जबकी अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि भूमि रैयती खाते की है, और दान के तिथी पर विषयगत भूमि में दान–दाता का हक हकिकत प्रतीत होता है।अंचल अधिकारी अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्तावित भूमि को विषयगत दान पत्र को भूदान पत्र अधिनियम 1954 के धारा–11 के तहत सम्पुष्ट किया जता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
31/12/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31/12/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।